संख्या: 1744 /XXIV-3/07/02(134)2007

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3 देहरादून दिनांक: 16 जनवरी, 2008 ~~दिसम्बर, 2007~~

विषय:- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (टी0एस0पी0) के अर्न्तगत 03 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 46166/5(ख)/टी0एस0पी0/2007-08/ दिनांक 06.11.2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (टी0एस0पी0) के अर्न्तगत निम्न 03 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु स्तम्भ-3 पर उल्लिखित कार्यदायी संस्था द्वारा गठित आगणनों के परीक्षणोपरान्त स्तम्भ-4 पर कुल अनुमोदित लागत रूपये 157.46 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष स्तम्भ-5 पर अंकित विवरणानुसार कुल रू0 24.35 लाख (रुपये चौबीस लाख, पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि को शासनादेश संख्या:1010/XXIV-3/2007/02(20)2007, दिनांक: 03 अगस्त, 2007 द्वारा प्रश्नगत योजना में आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि रू0 90.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपयों में)

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	निर्माण एजेन्सी का नाम	टी.ए.सी. द्वारा अनुमोदित लागत	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5
1.	रा0इ0का0 कुन्ना डागुरा, देहरादून	उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम, देहरादून	55.95	8.95
2.	रा0कन्या उ0मा0वि0 कोटिकनासर, देहरादून	उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम, देहरादून	54.75	7.75
3.	रा0कन्या उ0मा0वि0हरिपुर,कालसी, देहरादून	उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम, देहरादून	46.76	7.65
	कुल योग:-		157.46	24.35

(1)- उपर्युक्त विद्यालयों के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के ग्रामों/वार्डो मे स्थित होने पर ही धनराशि को व्यय किया जायेगा।

(2)- आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट मे स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव

क्रमशः--2

से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(3)- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(4)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(5)- एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाय।

(6)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मद्दे नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(7)- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च-अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल पर आवश्यकतानुसार एवं प्राप्त निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(8)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(9)- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(10)- जी0पी0डब्लू0 फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

(11)- मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या: 2047/XIV-219 (2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

(12)- यदि स्वीकृत धनराशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृति राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाये।

(13)- निर्माण की गुणवत्ता के लिए सबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(14)- निर्माण कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 15 तारीख तक निर्माण संस्था द्वारा विभागाध्यक्ष/संस्था को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(15)- उक्त कार्य की Third party से गुणवत्ता/प्रगति की जांच हेतु व्यवस्था की जायेगी तथा उस पर होने वाला व्यय सेन्टेज चार्जेज के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

2- उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

क्रमशः - 3

स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–31 के अधीन लेखा शीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–03–माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण/जीर्णोद्धार –24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 712(P)/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/2007 दिनांक 27.11.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव

संख्या: 1744 (1)/XXIV-3/07/02(134)2007 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2 निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल– पौड़ी।
6– अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल – पौड़ी।
7– जिलाधिकारी, देहरादून।
8– कोषाधिकारी, देहरादून।
10– जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
11– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ।
12– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)।
13– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
14– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
15– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव